Rcms 2017/0415 2017/00415

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39/2017 (अपील)

उनवान

1. कस्तूरचन्द । पिसरान श्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासीगण
2. मधुसूदन । ग्राम सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा
3. पुष्पा बाई बेवा श्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. हरिमोहन आत्मज श्री रघुनाथ जाति अहीर निवासी सावनभादो तहसील कनवास जिला कोटा
2. योगेन्द्र । पिसरान श्री गोविन्द लाल जाति अहीर निवासी अकलाई
3. महेन्द्र । उप तहसील चेचन्द जिला कोटा
4. कृष्णा पुत्री गोविन्द लाल जर्ये कायम मुकामान
   4/1. चेतन । पिसरान श्री रमेश जाति अहीर निवासी ग्राम
   4/2. जयकिशन । मानसगांव तहसील लाडपुरा
   4/3. खेमराज ।
   4/4. मधु पुत्री रमेश पत्नी धनराज जाति अहीर निवासी मानसगांव तहसील लाडपुरा
5. गीता बाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी श्री रमेश जाति अहीर निवासी मारूतीनगर रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. रामभरोसी पुत्री रामचन्द्र पत्नी श्री मोहनलाल जाति अहीर निवासी अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
7. सीमा कुमारी पुत्री श्री गोविन्द लाल पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा
8. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टान)

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार कनवास के आदेश नामान्तकरण सं0 989 दिनांक 06.06.2017

निर्णय दिनांक : 17.01 .2020

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा नामा0 सं0 989 दिनांक 06.06.2017 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य मौजूद था कि पक्षकारों में विवादित आराजी के संबंध मे

नियमित वाद जेरकार है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल तस्दीक करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबन्दी मे मृतक माधो के रामचन्द्र व गोविन्द दो ही पुत्र थे किन्तु सम्वत् 2014 के पश्चात सेटलमेन्ट विभाग से मिलकर रघुनाथ ने अपने आप को माधो का पुत्र बताकर अपना नाम दर्ज करवा लिया जो सर्वथा अवेधानिक है । स्वंय तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह तथ्य आया है कि रघुनाथ माधो की पत्नी के साथ गेलड आया था, जबकि माधो के जायन्दा पुत्र रामचन्द्र व गोविन्द ही थे, ऐसी स्थिति मे माधो की सम्पत्ति मे रघुनाथ, सीताराम का पुत्र है । माधो का एक अलग खाता और था जिसमे उसके दोनो पुत्रो रामचन्द्र व गोविन्द के वारिसान के ही नाम है जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि रघुनाथ, माधो का वारिस नही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर रघुनाथ के पुत्र हरी मोहन का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का निवेदन किया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट नं0 1 की ओर से श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक उपस्थित हुऐ। रेस्पो0 नं0 2 लगायत 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराये हुए जाहिर किया सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबन्दी मे मृतक माधो के रामचन्द्र व गोविन्द दो ही पुत्र थे किन्तु सम्वत् 2014 के पश्चात सेटलमेन्ट विभाग से मिलकर रघुनाथ ने अपने आप को माधो का पुत्र बताकर अपना नाम दर्ज करवा लिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 नं0 1 ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रघुनाथ के फोत होने पर उसके हिस्से की आराजी का उसके पुत्र रेस्पो0 नं0 1 के हक मे नामान्तकरण तस्दीक करने मे कोई त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मे रेस्पो0 नं0 1 रघुनाथ का पुत्र होने के संबंध मे कोई उज्रदारी अंकित नही की है । नामान्तकरण कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है जिससे किसी के अधिकार तय नही होते है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण नियमानुसार होने से अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया । अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 14.6.2010 पेज 392,आरआरडी 2008 पेज 383 व आरआरडी 1993 पेज 88 पेश किये गये ।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने स्वंय अपील मे स्वीकार किया कि सम्वत् 2014 के पश्चात सेटलमेन्ट विभाग से मिलकर रघुनाथ ने अपने आपको माधो का पुत्र बताकर अपना नाम दर्ज करा लिया तथा पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद चल रहा है । प्रश्नगत नामान्तरकरण रघुनाथ के फोत होने पर उसके पुत्र रेस्पो0 नं0 1 के हक मे तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट ने अपील मे रेस्पो0 नं0 1 को रघुनाथ का पुत्र होने के संबन्ध मे

कोई उज्र नही किया है । अतः रेस्पो0 नं0 1 रधुनाथ का पुत्र होने के संबन्ध मे कोई विवाद नही है तथा चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण से रधुनाथ के फोत होने पर उसके स्थान पर उसके हिस्से की आराजी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हक मे दर्ज की गयी है । अतः इसमें कोई त्रुटि होना नही पायी जाती है । अपीलान्ट के हक नियमित वाद मे तय होगे ।

7. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 17.01..2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा